(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में संसद सदस्यों को भी उनके अपने-अपने कोटे के अलावा उपर्युक्त आवंटन के लिए चुना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका संसद सदस्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (घ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर 133 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 118 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई हैं। मात्रा-दूरी के मानकों के आधार पर एच एस डी और एम एस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं। एल पी जी डिस्ट्रब्यूटरशिपों को खोलने के लिए 20,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले बाजारों की पहचान की जाती है और व्यवहार्यता के आधार पर नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू किया जाता है। खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने तथा एल पी जी कनेक्शन जारी करने की शहरवार और गांव-वार सूचना नहीं रखी जाती। सरकार के स्वविवेक पर आवश्यक और योग्य मामलों के अंतर्गत कुछ मामलों में व्यक्तियों के अनुरोधों और जनता के प्रतिनिधियों, सरकारी कार्यकारियों तथा लोक व सामाजिक कार्यकर्ताओं व संसद-सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों सहित गणमान्य व्यक्तियों की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा 1993 में 24,741 तथा 1994 में 84,563 घरेलू एल पी जी कनेक्शन मंजूर किए गए।

Scarcity of Potable Water in Andaman and Nicobar Islands

1556. SHRI VISHNU KANT SHASTRI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is general scarcity of potable water in the Andaman and Nicobar Islands; and

(b) if so, what steps Government propose to take to meet the ever increasing requirement for potable water due to the increase in the population of the Islands?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) Yes, Sir. Scarcity of water is felt in some villages during the summer months in the Andaman and Nicobar Islands.

(b) The Andman & Nicobar Islands Administration is augmenting the water sources and also creating additional sources for meeting the potable water requirements of the people.

Scarcity of Containers at Paradip Port

1557. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the servere scarcity of containers at Paradip Port in Orissa;

(b) whether the shortage has adversely affected export in the port;

(c) if so, the steps taken to ensure sufficient containers for that port;

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The Pardip Port does not handle any container and hence the question of ""scarcity of containers" at this Port does not arise.

(b) to (d) Do not arise.

LPG Distributorship in the Towns of Madhya Pradesh

1558. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have made any survey of the towns having a population of twenty thousand and above in the State of Madhya Pradesh but having no LPG distributorship therein to supply cooking gas to the inhabitants;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if not, whether Government propose to conduct such a survey and open LPG distributorship in each of such towns in Madhya Pradesh in the near future;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) what steps Government propose to take to make LPG available to the citizens of such towns in the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTERY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA):

(a) and (b) On the basis of market survey, LPG distributorships are opened, in a phased manner, at places having a population of 20,000 and above, subject to economic viability and product availability, as per 1991 Census. Accordingly, in addition to 54 LPG distributorships included in the LPG Marketing Plan 1992-94, 104 LPG distributorships have been included in the LPG Marketing Plan 1994-96 for Madhya Pradesh. Market survey is a continuous process.

(c) and (d) Do not arise.

(e) With the commissioning of all the LPG distributarships included in the Marketing Plan and those planned in future, LPG facility will be extended to all the potential towns in Madhya Pradesh, in a phased manner.

Committee to finalise new package to increase petroleum production

1559. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether a Committee has been set up under the Chairmanship of Petroleum Secretary, for finalising a new package in a bid to increase petrolum out put in the country;

(b) if so, the details of the proposals; and

(c) the foreign exchange likely to be saved on account of extra production in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) A "strategic Planning Group" on restructuring of the National Oil Industry, with members comprising top managment from public and private sector and leading experts from academic and research institutes, has been formed. The report of the Committee is awaited.

निजी क्षेत्रों द्वारा तेल शोधक कारखाने स्थापित किया जाना

1560. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में गुजरात सहित प्रत्येक राज्य में स्थापित किये गये तेल शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र में स्थापित किये गये अथवा स्थापित किये जाने वाले शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयेगी तथा गुजरात सहित उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित तेल शोधक कारखानों का वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य क्या है;

(घ) क्या उक्त तेल शोधक कारखानों के लिए विदेशी सहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कोई नयी ग्रास-रूट रिफाइनरी स्थापित नहीं हुई है।

(ख) और (ग) सरकार ने निजी/संयुक्त क्षेत्र में निलिखित रिफाइनरियों को स्थापित करने के लिए अनुमोदन किया है:-

पक्षकार/रिफाइनरी का नाम	क्षमता	स्थान
अनुमोदन निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां		
1. मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	15 मि.मी.ट.प्र.व.	गुजरात
2. मैसर्स एस्सार पेट्रोलियम लि.	9 मि.मी.ट.प्र.व.	गुजरात
3. मैसर्स अशोक लेलैंड गोटको	6 मि.मी.ट.प्र.व.	उड़ीसा
4. मैसर्स मेपलैक उद्योग	0.5 मि.मी.ट.प्र.व.	गुजरात
5. मैसर्स सोरोस फंड मैनेजमेंट (शत प्रतिशत निर्यातमूलक इकाई के अंतर्गत)	6 मि.मी.ट.प्र.व.	प. बंगाल
1. मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस ए (बी वी आई) स्विटजरलैंड	5 मि.मी.ट.प्र.व.	गुजरात
2. मैसर्स ब्लैक गोल्ड रिफाइनरीज लि.	2.5 मि.मी.ट.प्र.व.	आंध्र प्रदेश
3. मैसर्स पेट्रो सोर्स एनर्जी कंपनी	4.8 मि.मी.ट.प्र.व.	पांडिचेरी
4. मैसर्स जिंदल फेरो एलायज	6 मि.मी.ट.प्र.व.	आंध्र प्रदेश
5. मैसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट का. लि. (टी आई डी सी ओ)	2 मि.मी.ट.प्र.व.	तमिलनाडु
6. मैसर्स अबन लायड चिल्स आफशोर लिमिटेड, मद्रास	3 मि.मी.ट.प्र.व.	तमिलनाडु
संयुक्त उद्यम की रिफाइनरिया		
1. एच पी सी एल तथा इंडियन रेयन इंडस्ट्रीज के मध्य मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लि. (एम आर पी एल)	3 मि.मी.ट.प्र.व.	मंगलौर
2. भारत ओमान रिफाइनरीज लि., बी पी सी एल तथा ओमान आयल कंपनी लि. के मध्य संयुक्त उद्यम	6मि.मी.ट.प्र.व.	बीना (म.प्र.)